

# डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली  
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

## उनवान

हरिचरण पुत्र जुर्ने उम्र 70 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी कोटापुरा (फल्लू का पुरा)  
तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —————वादी

## बनाम


1. बृजमोहन उम्र 60 साल | पिसरान गिर्राज उर्फ तन्नु जाति ब्राह्मण
2. जगदीश उम्र 58 साल | निवासी कोटापुरा हिण्डौन जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
4. सब रजिस्ट्रार, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली —————प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,

मुकदमा नं0 241 / 2022

इन्द्राज दुरुस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे हाजिरी श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट मिन जानिव मुदई रुबरू श्री बनवारीलाल गोस्वामी मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1766/1231 रकबा 0.23 है0, 1767/1231 रकबा 0.03 है0, 1232 रकबा 0.37 है0, 1235 रकबा 0.07 है0, 1236 रकबा 0.03 है0, 1237 रकबा 0.10 है0, 1342 रकबा 0.06 है0, 1343 रकबा 0.06 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम कोटापुरा तहसील हिण्डौन का वादी हरिचरण पुत्र जुर्ने जाति ब्राह्मण निवासी कोटापुरा (फल्लू का पुरा) तहसील

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1229 रकबा 0.15 है0, 1230 रकबा 0.21 है0, 1233 रकबा 0.22 है0, 1234 रकबा 0.23 है0, 1336 रकबा 0.13 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम कोटापुरा तहसील हिण्डौन का प्रतिवादी बृजमोहन जगदीश पि0 गिराज जाति ब्राह्मण निवासी कोटापुरा (फल्लू का पुरा) तहसील हिण्डौन को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1766/1231 रकबा 0.23 है0, 1767/1231 रकबा 0.03 है0, 1232 रकबा 0.37 है0, 1235 रकबा 0.07 है0, 1236 रकबा 0.03 है0, 1237 रकबा 0.10 है0, 1342 रकबा 0.06 है0, 1343 रकबा 0.06 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम कोटापुरा तहसील हिण्डौन में वादी हरिचरण पुत्र जुर् जाति ब्राह्मण निवासी कोटापुरा (फल्लू का पुरा) तहसील हिण्डौन के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें, वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/9/25

को यह डिक्री जारी की गई।

( हेमराज गुर्जर ) 16/9/25  
 उपखण्ड अधिकारी  
 हिण्डौन सिटा ( कराछ )  
 हिण्डौन जिला करौली

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 241 / 2022

तारीख रजू:- 04.08.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 507

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

हरिचरण पुत्र जुर्ने उम्र 70 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी कोटापुरा (फल्लू का पुरा)  
तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान \_\_\_\_\_वादी

## बनाम

1. बृजमोहन उम्र 60 साल | पिसरान गिराज उर्फ तन्नु जाति ब्राह्मण
2. जगदीश उम्र 58 साल | निवासी कोटापुरा हिण्डौन जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
4. सब रजिस्ट्रार, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली \_\_\_\_\_प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरस्ती,

तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा


उपस्थित:- 1. श्री पी. एल. गोयल वकील वादी

2. श्री बनवारी लाल गोस्वामी वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.06.2024 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर आदेश जारी किये गये कि दावा वादी की सहमति से खसरा नम्बर 1229 रकबा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 1230, रकबा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 1767 / 1231 रकबा 3 ऐयर, खसरा नं0 1766 / 1231 रकबा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 1232, रकबा 37 ऐयर, खसरा नम्बर 1233, रकबा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 1234, रकबा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 1235 रकबा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 1236 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 1237 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 1336 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 1342 रकबा 6 ऐयर, खसरा नम्बर

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)

1343 रकबा 6 ऐयर, कुल किता 13 कुल रकबा 1.89 है0 स्थित ग्राम कोटापुरा, तहसील हिण्डौन में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद पत्र का इकवालिया जबाव दावा के तथ्यों एवं तथा दिनांक 15.09.2022 को आदेशिका पर दावे के सभी बिन्दुओं के संदर्भ में अपनी स्वीकृति एवं वादपत्र को साबित करने में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से में प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 का नाम हजफ कर उक्त खसरा नम्बरान के रकबे में वादी हरिचरण पुत्र जुर्रे जाति ब्राह्मण निवासी कोटापुरा (फल्लुकापुरा) तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा तहसीलदार हिण्डौन को बंटवारा मौका कमीशनर 500 रूपये फीस पर नियुक्त कर निर्देश दिये गये कि खसरा नम्बर 1229 रकबा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 1230, रकबा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 1767/1231 रकबा 3 ऐयर, खसरा न0 1766/ 1231 रकबा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 1232, रकबा 37 ऐयर, खसरा नम्बर 1233, रकबा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 1234, रकबा 23 ऐयर, खसरा नम्बर 1235 रकबा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 1236 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर 1237 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 1336 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 1342 रकबा 6 ऐयर, खसरा नम्बर 1343 रकबा 6 ऐयर, कुल किता 13 कुल रकबा 1.89 है0 स्थित ग्राम कोटापुरा, तहसील हिण्डौन में वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 को बहिस्सा बराबर 1/2-1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 के हिस्से की अलग-अलग खातेदारी की जाकर मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में विवादित आराजीयात में अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी कब्जे के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करें। बटवारा स्कीम दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस के न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। नक्शा ट्रेस में अलग-अलग रंगों से वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अंकित करें।

मुताविक आदेश तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक भू.अ./2025/2348 दिनांक 03.09.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई। वकुलाय फरीकेन ने दौराने बहस मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1766/1231 रकबा 0.23 है0, 1767/1231 रकबा 0.03 है0, 1232 रकबा 0.37 है0, 1235 रकबा 0.07 है0, 1236 रकबा 0.03 है0, 1237 रकबा 0.10 है0, 1342 रकबा 0.06 है0, 1343 रकबा 0.06 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम कोटापुरा तहसील हिण्डौन वादी हरिचरण पुत्र जुर्जे जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 1229 रकबा 0.15 है0, 1230 रकबा 0.21 है0, 1233 रकबा 0.22 है0, 1234 रकबा 0.23 है0, 1336 रकबा 0.13 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम कोटापुरा तहसील हिण्डौन प्रतिवादी बृजमोहन जगदीश पि0 गिराज जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार के हिस्से में आयी हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिकी एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी अपने दावा को फाईनल डिकी कराना चाहते हैं। जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होना प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया है। इसलिए वादी का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1766/1231 रकबा 0.23 है0, 1767/1231 रकबा 0.03 है0, 1232 रकबा 0.37 है0, 1235 रकबा 0.07 है0, 1236 रकबा 0.03 है0, 1237 रकबा 0.10 है0, 1342 रकबा 0.06 है0, 1343 रकबा 0.06 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम कोटापुरा तहसील हिण्डौन का वादी हरिचरण पुत्र जुर्जे जाति ब्राह्मण निवासी कोटापुरा (फल्लू का पुरा) तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1229 रकबा 0.15 है0, 1230 रकबा 0.21 है0, 1233 रकबा 0.22 है0, 1234 रकबा 0.23 है0, 1336 रकबा 0.13 है0 कुल किता 5 कुल

रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम कोटापुरा तहसील हिण्डौन का प्रतिवादी बृजमोहन जगदीश पि0 गिराज जाति ब्राह्मण निवासी कोटापुरा (फल्लू का पुरा) तहसील हिण्डौन को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1766/1231 रकबा 0.23 है0, 1767/1231 रकबा 0.03 है0, 1232 रकबा 0.37 है0, 1235 रकबा 0.07 है0, 1236 रकबा 0.03 है0, 1237 रकबा 0.10 है0, 1342 रकबा 0.06 है0, 1343 रकबा 0.06 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम कोटापुरा तहसील हिण्डौन में वादी हरिचरण पुत्र जुरे जाति ब्राह्मण निवासी कोटापुरा (फल्लू का पुरा) तहसील हिण्डौन के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें, वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... 16/9/25 ..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)  
उपसुपुंड अधिकारी  
हिण्डौन जिल्ला (करौली)

16/9/25